न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कोंच, जनपद जालौन।
मूलवाद सं0 241/2021
रामप्रकाश प्रति बाबूराम
दिनांक 17.11.2021

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 29क1/ आपत्ति पर सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

वादी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र 29क1 प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने दौरान वाद वादी की खेत सं0 21/1 ए,डी,ई,एफ एवं खेत सं0 4/1 अ,द,य,र के पश्चिम में स्थित वादी के अन्य खेत सं0 20 तथा खेत सं0 3 के चारो ओर लगे पिलर्स को उखाड़ देने का प्रयास कर रहा है और इस आशय की उसने धमकी दी। इसलिये इस वाद में उपरोक्त दोनो खेतो को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त आशय का संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद की मूल प्रकृति में परिवर्तन होता है, क्योंकि इससे वादी द्वारा अन्य भूमि संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में वाद कारण भी अलग है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी द्वारा भूमि सं0 21/1 एवं 4/1 के बावत स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 26.08.2021 को पारित किया गया था।

वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त भूमि सं0 20 एवं भूमि सं0 3 के बावत भी स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की प्रार्थना की गयी है। यद्यपि प्रस्तावित संशोधन से वर्तमान वाद में विवादित सम्पत्ति की बढ़ोत्तरी होती है एवं नई विवादित सम्पत्ति के बावत वाद कारण भी पृथक है, किन्तु संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार करने से वाद की बहुलता में कमी आयेगी एवं एक ही वाद में दोनो सम्पत्तियों के बावत एक ही निर्णय से विवाद का न्यायनिर्णयन किया जाना सम्भव होगा।

वर्तमान वाद में वाद बिन्दु इस स्तर तक विरचित नहीं किये गये हैं। प्रस्तावित संशोधन से वाद की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

संशोधन प्रार्थनापत्र 29क1 स्वीकार किया जाता है। वादी प्रस्तावित संशोधन करना नियमानुसार सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवावदावा दिनांक 14.12.2022 को पेश हो। टी0आई0 नियत तिथि तक प्रभारी रहेगी।

सिविल जज (जू0डि0), कोंच